

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकंला

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :
[आदेश 20 नियम 6, 7 जा.दी.]

पीठासीन अधिकारी - राजकेश मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 08/2020 राजस्व वाद

1 रामचन्द्र पिता स्व. गौरधन रेगर उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकंला जिला
शाहपुरा राज. उनवान
— (वादी)

- बनाम
1. राजू पिता गौरधन रेगर उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकंला जिला शाहपुरा राज.
 2. अणदी पिता स्व. गौरधन रेगर उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकंला जिला शाहपुरा राज.
 3. करमा पिता स्व. गौरधन रेगर उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकंला जिला शाहपुरा राज.
 4. पूरण पिता स्व. बन्ना रेगर उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकंला जिला शाहपुरा राज.
 5. मदन पिता स्व. बन्ना रेगर उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकंला जिला शाहपुरा राज.
 6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकंला जिला शाहपुरा (राज.) —(प्रतिवादीगण)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 89 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित -

1. श्री विजय पाराशर --- अधिवक्ता वादी
2. विपक्षीगण समस्त अनुपस्थित

दिनांक- 01.08.2024

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53, 89, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 में अन्तिम डिक्री विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती हैं कि वाके ग्राम सांगरिया प.ह. क्षेत्र सांगरिया भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र धनोप तहसील फूलियाकंला की जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 खाता संख्या 420 में वर्णित खसरान संख्या 2135, 2217, 2218, 2219, 2346, 2360, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 43, 44, 61, 62 कुल कित्ता 16 रकबा 2.88 हैक्टर भूमि के तैयार विभाजन प्रस्ताव स्कीम एवं हस्ताक्षरित नक्शा ट्रेस अनुसार वादग्रस्त आराजीयात में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 05 के मध्य विभाजन निम्नानुसार किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित/प्रमाणितशुदा नक्शाट्रेस को उक्त डिक्री का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है-

- 1 रामचन्द्र पिता गौरधन रेगर सा. देह खातेदार (वादी)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकंला जिला शाहपुरा

आ.न.	रकबा
2365	0.11 हैक्टर
2368	0.10 हैक्टर
2135 में से	0.22 हैक्टर
44 में से	0.15 हैक्टर
61 में से	0.01 हैक्टर
कुल किता 5	0.59 हैक्टर

2 अणदी पिता गोरधन रेगर सा. देह खातेदार (प्रतिवादी संख्या 02)

आ.न.	रकबा
2218 में से	0.17 हैक्टर
2367	0.16 हैक्टर
2135 में से	0.23 हैक्टर
61 में से	0.03 हैक्टर
कुल किता 4	0.59 हैक्टर

3 पूरण, मदन पिता बन्ना रेगर सा. देह खातेदार रहन बदस्तूर (प्रतिवादी संख्या 04, 05)

आ.न.	रकबा
2346	0.10 हैक्टर
2360	0.17 हैक्टर
2218 में से	0.17 हैक्टर
कुल किता 3	0.44 हैक्टर

4 करमा पिता गोरधन हिस्सा 1/2 रेगर रहन बी.आर.के.जी.बी शाखा सांगरिया, राजू पिता गोरधन हिस्सा 1/2 रेगर रहन बी.आर.के.जी.बी शाखा सांगरिया (प्रतिवादी संख्या 01, 03)

आ.न.	रकबा
2219	0.30 हैक्टर
2366	0.11 हैक्टर
2217	0.14 हैक्टर
44	0.07 हैक्टर
2364	0.11 हैक्टर
2369	0.10 हैक्टर
2135	0.22 हैक्टर
43	0.11 हैक्टर
61	0.01 हैक्टर

सहायक कलक्टर
एव उपायुक्त


62	0.01 हैक्टर
कुल किता 10	1.18 हैक्टर

5 शामलाती समस्त खातेदार रहन बदस्तूर (वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 05)


आ.न.	रकबा
2219 में से	0.02 हैक्टर
2217 में से	0.02 हैक्टर
2135 में से	0.02 हैक्टर
44 में से	0.02 हैक्टर
कुल किता 4	0.08 हैक्टर

वादग्रस्त आराजियात भू-भाग में विभाजन वादी व प्रतिवादी क्रम 01 से लगायत 05 के मध्य क्रम संख्या 1 से लगायत 05 अनुसार रहेगा। साथ ही प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के हक हिस्से की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करेंगे। डिक्री प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकलां को प्रेषित हो।

आज यह अन्तिम डिक्री दिनांक ~~01.08.2024~~ को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।


सहायक (राजकैशमीकर)
 एवं डी.के.के. कलक्टर एवं
 फुलियाकला उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
 जिला शाहपुरा

प्रतिलिपि:- डिक्री की प्रति तहसीलदार फुलियाकलां को पालनार्थ मय विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस प्रेषित हो।


सहायक (राजकैशमीकर)
 एवं डी.के.के. कलक्टर एवं
 फुलियाकला उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
 जिला शाहपुरा